न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (UID No. RJ 00152)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 292/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 131/2026, आरक्षी केन्द्र बालोतरा
CNR : RJBA010008962026

भगवानाराम पुत्र गुलाबाराम, उम्र 45 वर्ष, निवासी रातानाड़ा खेड़, पुलिस थाना पचपदरा, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 131/2026, पुलिस थाना बालोतरा, अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री वीराराम प्रजापत, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– <u>आदेश</u> ––

दिनांक : 06.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूँठा संलिप्त किया है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है । प्रार्थी दिनांक 03.06.2026 से अभिरक्षा में है । आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में अभी समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अवैध बजरी खनन के अपराध का आरोप है । वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा एक बहुत बड़ा वर्ग बजरी माफिया के रूप में पनपकर इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:–

Sr. No.	FIR No. & P.S.	Case No.	Section	Date	Status	Date of Arrest	Release on any previous occasion (If any)
–	NIL	–	-	-	–	–	–

5. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध अवैध बजरी खनन व चोरी के अपराध का आरोप है । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई प्रकरण एमएमडीआर एक्ट के तहत दर्ज या लंबित होना नहीं बताया गया है । प्रार्थी दिनांक 03.06.2026 से अभिरक्षा में है । आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । अतः इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसकी उपस्थिति बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद

पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये की मौतबीर जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

7. आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.06.06 10:55:07 +0530